// उद्यान विज्ञान विभाग
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ – 250110

उद्यान विज्ञान विभाग

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ – 250110

डा0 बिजेन्द्र सिंह
विभागाध्यक्ष उद्यान

पत्रांकः सवप / उद्यान / 2017 / ~~1313~~ 13118
दिनांकः 16/09/17

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविधालय के मुख्य परिसर पर मेन गेट के पास व पुराने परिसर पर 150 युकेलिपटस, 31 अलेस्टोनिया, 02 जकरेण्डा, 01 अमलताश, 01 गुलमोहर, 01 सिल्वर ओक व 02 के0सेमिया (कुल 188) खडे वृक्षों की खुली बोली नीलामी दिनॉक 27.09.2017 को दोपहर 12:00 बजे उद्यान विभाग में की जायेगी। नीलामी में बोलीदाता को रू0 20000.00 / – (रू0 बीस हजार मात्र) धरोहर राशि के रूप में नीलामी से पूर्व जमा करने होंगे। खुली बोली नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार है–

1. क्रेता बोली बोलने से पूर्व चिन्हित वृक्षों का मुख्य परिसर पर मेन गेट के पास व पुराने परिसर पर जाकर 12:00 बजे से पूर्व भली भॉती निरीक्षण कर लें। नीलामी जहॉ है जैसा है के आधार पर की जायेंगी व बाद में किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार नही किया जायेंगा।
2. समिति की संस्तुति के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता के अलावा अन्य बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि नीलामी के पश्चात वापस कर दी जायेंगी। जबकी उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि रू0 20000.00 / – (रू0 बीस हजार मात्र) कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस कर दी जायेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को समिति की संस्तुति के बाद कुल कीमत की 1/3 प्रतिशत धनराशि तत्काल विश्वविधालय लेखा कार्यालय में जमा करनी होगी उच्चतम बोलीदाता को नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के बाद शेष 2/3 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी ।
4. नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्षों के पातन हेतु क्रेता को प्रभागीय वन अधिकारी, मेरठ के कार्यालय से नियमयनुसार पातन / अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात ही वृक्षों के पातन की अनुमति विश्वविधालय द्वारा दी जायेगी।
5. क्रेता को वृक्षों के पातन की अनुमति मिलने के 25 दिनों के अन्दर वृक्षों की कटाई कर स्वयं के व्यय पर ही विश्वविधालय परिसर से उठाना होगा।
6. यूकेल्पिटस को छोडकर अन्य वृक्षों को जड सहित निकाला जाना है।
7. बोली स्वीकार करना, न करना या रदद करने का अधिकार विश्वविधालय प्रशासन में पूर्ण निहित होगा।
8. किसी भी विवाद पर विश्वविधालय के मा0 कुलपति जी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
9. समस्त प्रकार के टैक्स आदि क्रेता द्वारा स्वंय देय होंगे।
10. क्रेता द्वारा विश्वविधालय सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर उसे क्षतिपूर्ति हर्जाना देना होगा। ऐसा न करने पर उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि रू0 20000.00 / – जब्त की जा सकती है।
11. अन्य शर्ते नीलामी के समय बता दी जायेंगी।

(बिजेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष सम्बंधित समिति

प्रतिलिपि

–सूचना पट
– सहायक सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था हेतु
–श्री मौ0 जफर (फार्म अधीक्षक) / श्री विक्रान्त सिरोही(प्र0सहा0) को इस आशय के साथ की उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार कर चिन्हित वृक्षों को ही क्रेताओं को दिखाना सुनिश्चित करेंगे।
– प्रभारी अधिकारी आई0 टी0 को विश्वविधालय की वेबसाईट पर डालने हेतु।
– वन क्षेत्राधिकारी, सरधना को सूचनार्थ।